भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1568

जिसका उत्तर 08.03.2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग-अधिकार

1568 श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग- अधिकार नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैकल्पिक मार्गों को दिए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल-प्लाजा को संस्थापित किए जाने से नागरिकों की आवाजाही बाधित हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजमार्गों पर वैकल्पिक मार्गों को दिए बिना टोल अवरोधकों के संस्थापन से नागरिकों की अबाधित आवाजाही को बाधित करने के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गाधिकार भारत के संविधान के अधीन प्रतिष्ठापित अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों में भूमि का नियंत्रण, मार्ग का अधिकार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाला यातायात और अनधिकृत कब्जा हटाना 'राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 द्वारा शासित है। इस अधिनियम के अनुसार राजमार्ग प्रशासन द्वारा या तो सामान्यतया अथवा विनिर्दिष्ट तरीके से विशेष तौर पर दी गई अनुमति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी वाहन से या पांच अथवा अधिक लोगों के एक समूह द्वारा पैदल चलने के लिए किसी राजमार्ग तक पहुंच का अधिकार नहीं होगा।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर दी जाने वाली सेवाओं और लाभों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के उपयोग के लिए शुल्क उद्ग्रहण की शक्ति प्रदान करता है।

*****